Saturday, 02 July, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Fumigated On 18-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय सूची CONTENTS

अंक 19, शनिवार, 2 जुलाई, 1977/11 आषाढ, 1899 (शक)

No. 19 *Satuday, July* 2, 1977/*Assadha* 11, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1-2
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	2—5
मारुति लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों का गायब होना—	Reported disappearance of documents relating to Maruti Limited.—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu . . .	2, 3, 4, 5
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	2, 3, 4, 5
1 जुलाई, 1977 को पालम हवाई अड्डे पर श्री संजय गांधी और उनकी पत्नी से संबंधित कथित घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Alleged Incident at Palam Airport on 1-7-77 relating to Shri Sanjay Gandhi and his wife—	6-7
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	5
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	6
नक्सलवादी लड़कियों को फांसी दिये जाने के बारे में	Re. Execution of Naxalite Girls	7-8
अनुदानों की मांगें—1977-78	Demands for Grants, 1977-78 .	8—35
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation .	
श्री रघुनाथ सिंह वर्मा	Shri Raghunath Singh Verma .	9
श्री डी० बी० पाटिल	Shri D.B. Patil .	9-10
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	10-11
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh .	11-12
श्री श्रीकृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh .	12
श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे	Shri Annasaheb Gotkhinde	12-13
श्री अम्बिका प्रसाद पांडे	Shri Ambika Prasad Pandey .	13-14
श्री ए० अशोकराज	Shri A. Asokaraj .	14-15
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdev Prasad Verma .	16
श्री अमर राय प्रधान	Shri Amar Roy Pradhan .	16-17
श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम	Shri N. Kudanthai Ramalingam	17-18

श्री राम लाल राही	Shri Ram Lal Rahi	18-19
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	19-20
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajgopal Naidu	20-21
श्री लारंग साय	Shri L. Sai	21-22
श्री पूर्ण सिंहा	Shri Purna Sinha	22-23
श्री पायस टिर्की	shri Pius Tirkey	23
श्री के० टी० कोसलराम	Shri K.T. Kosalram	23-24
श्री चंदन सिंह	Shri Chandan Singh	24
श्री बीरेन्द्र प्रसाद	Shri Birendra Prasad	24
श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	Shri Ravindra Pratap Singh	24-25
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	25-26
श्री जी० नरसिम्हा रेडडी	Shri G. Narsimha Reddy	26-27
चौ० बलवीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	27-28
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	28
श्री सोनू सिंह पाटिल	Shri Sonu Singh Patil	28—30
श्री एस० जगन्नाथन	Shri S. Jagannathan	30-31
श्री भारत भूषण	Shri Bharat Bhushan	31
श्री एच० एल० पी० सिन्हा	Shri H.L.P. Sinha	31
श्री बी० राचैया	Shri B. Rachaiah	31—33
चो० राम गोपाल सिंह	Choudhary Ram Gopal Singh	33
श्री हरिकेष बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	33
श्री श्याम प्रसन्ना भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	33-34
श्री राम कंवर बेरवा	Shri Ram Kanwar Berwa	34
श्री वी० के० चन्द्र एस० देव	Shri V. K. Chandra S. Deo	34·35

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 2 जुलाई, 1977/11 आषाढ, 1899 (शक)

Saturday, July 2, 1977, Asadha 11, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*)

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह-मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

वर्ष 1977–78 के लिये गृह मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 578/77]

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

वर्ष, 1977–78 के लिये पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 579/77]

वर्ष, 1977–78 के लिये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 580/77]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1975–76 का प्रतिवेदन, संघ सरकार, (रक्षा सेवायें) तथा रक्षा सेवाओं के वर्ष 1975–76 के विनियोग लेखे

वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के वर्ष 1975–76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 581/77]

[श्री एच० एम० पटेल]

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष, 1975–76 के विनियोग लेखे तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यक परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये [देखिए संख्या एल० टी० 582/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा विवरण

वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्य 208/77–सी ई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 101/77–सीमा शुल्क, से 115/77–सीमा शुल्क, 117/77–सीमा शुल्क से 119/77–सीमा शुल्क और 124/77–सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 98/77–सीमा शुल्क, से 100/77–सीमा शुल्क और 116/77 सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी।

(4) उपर्युक्त मद (2) और (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 582/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मारुति लिमिटेड से सम्बन्धित दस्तावेजों का गायब हो जाना

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय से मारुति लिमिटेड से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कागजात तथा दस्तावेज के गायब हो जाने और इस जानकारी को तीन वर्षों तक छुपाये रखने के समाचार की ओर वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं

वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि एक फाइल जिसमें मारुति लिमिटेड के खाते से सम्बन्धित दिसम्बर, 1971 से जनवरी, 1974 तक हुआ पत्र व्यवहार, और अन्य कागजात थे, बैंक के नई दिल्ली, स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से

गायब हैं। बैंक ने बताया है कि इस फाइल के गायब होने का पता क्षेत्रीय कार्यालय को मई, 1974 में ही लग गया था, परन्तु केन्द्रीय कार्यालय को इसकी सूचना मई, 1977 में दी गई। बैंक ने यह भी बताया कि चूंकि लगभग सभी प्रस्तावों तथा लेन-देन का हवाला या स्वीकृति की सूचना इसके दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केन्द्रीय कार्यालय बम्बई को दी गई थी, अतः बहुत से सम्बन्धित कागजातों की प्रतियां या तो शाखा या फिर केन्द्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं। सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह भी सूचना दी है कि बैंक के देयों की वसूली के लिए आवश्यक सभी प्रतिभूति प्रलेखों अथवा मंजूरी देने वाले अधिकारी की पहचान के लिए आवश्यक स्वीकृति पत्रों जैसे कोई महत्वपूर्ण कागजात गायब नहीं हुए हैं। बैंक के मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक से कहा गया है कि इस फाइल को फिर से तैयार करने की दृष्टि से इस मामले की जांच करें। सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि श्री संजय गांधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी पर कहता हूं कि यह वक्तव्य गलत है कि फाइल 1974 में गुम हुई थी। मुझे बैंक के एक बड़े अधिकारी से निश्चित जानकारी प्राप्त हुई हैं कि फाइल श्री संजय गांधी ने श्री के० एल० कालरा नामक एक बैंक अधिकारी की मदद से गायब की थी। वास्तव में श्री कालरा श्री संजय गांधी के विशेष प्रतिनिध के रूप में कार्य करते थे। इसलिए उनका दो बार हुआ तबादला श्री संजय गांधी के हुकम से रद्द कर दिया गया था, हालांकि अब उन उनका तबादला हैदराबाद कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करके वक्तव्य देंगे ?

बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय 1976 में पार्लियामेंट स्ट्रीट से लिंक हाउस ले जाया गया था। क्या उस समय दस्तावेज की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें मारुति सम्बन्धी फाइल का उल्लेख है। इससे पता चल जायेगा कि यह चोरी 1974 में की गई अथवा 1976 में। हो सकता है कि सूची में इस फाइल का उल्लेख हो, परन्तु यह एक और चार सौ बीसी थी, जो श्री संजय गांधी ने श्री कालरा से मिल कर की। माननीय मंत्री हमें बतायें कि उस फाइल को पुनः किस प्रकार बनाया जायेगा ? उस फाइल पर चिटें और सिल्पें थीं, जिन पर श्री संजय गांधी और भूतपूर्व प्रधान मंत्री के हाथ से लिखी हुई छोटी-छोटी टिप्पणियां थीं। क्या बम्बई में भी उन चिटों की प्रतिलिपियां हैं ? नहीं हैं। इस लिए उस फाइल को दोबारा नहीं बनाया जा सकता।

एक और मजाक देखिए। कालरा का मई, 1977 में हैदराबाद का तबादला किया गया और इस फाइल के गुम होने की सूचना भी मई, 1977 में ही दी गई। इस से पहले नहीं।

नेशनल हेरल्ड ने जमा से अधिक पूंजी निकला ली। श्री संजय गांधी 30 करोड़ रुपये की राशि चाहते थे, बैंक की टीम जिसमें बैंक के मैनेजर श्री तनेजा भी थे, गुड़गांव गयी। वहां कुछ मशीनों के सिवाय कुछ भी नहीं था। प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। फिर संजय गांधी ने मारुति तकनीकी परामर्शदात्री सेवा के लिए 25 करोड़ की मांग की। जब मैनेजर ने यह राशि नहीं दी, तो उसे तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 1, सफदरजंग रोड पर बुलाया और खुब झाड़ पिलाई। यदि आप उस व्यक्ति को दक्ष समझें तो पुनः रख सकते हैं अन्यथा नहीं। मैं उसकी सिफारिश नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गुम हुए पत्रों के बारे में है। अब मारुति लिमिटेड की सारी कहानी की जा रही है। मैं नहीं समझता कि ये सब बातें तर्कसंगत हैं। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि कृपया आप इसका निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप से अनुरोध है कि आप वे बातें न उठायें, जो फाइल से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय श्री संजय गांधी के साथ सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के एक अधिकारी की सांठगांठ से बैंक के परिसर से फाइल चुराई, गई।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फाइल बैंक के एक अधिकारी श्री के० एल० कालरा और संजय गांधी की सांठ गांठ से चुराई गई और क्या इसे उस समय जब बैंक के कार्यालय को पार्लियामेंट स्ट्रीट से लिंक हाउस में ले जाया गया, सूची में दिखाया गया था और क्या श्री कालरा का मई में हैदराबाद का तबादला किया गया ?

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मैं अपना वक्तव्य केवल गुमशुदा फाइल तक ही सीमित रखूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस तथ्य की जानकारी मई, 1974 में हुई थी कि फाइल गायब है। फाइल से सम्बन्धित वे कागजात जिन्हें मुख्य कार्यालय में भेजा जाता था, मुख्य कार्यालय में मौजूद हैं और इसलिए फाइल को पुनः बनाया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चैक और चिटें कहां से आयेंगी ?

श्री एच० एम० पटेल : वस्तुतः चैक और चिटें तो नहीं मिल सकतीं। यह कहा जा सकता है कि ऋण मंजूर करने में क्षेत्रीय कार्यालय में जो टिप्पणियां की गईं, वे मौजूद नहीं हैं। फाइल में वे अंश नहीं होंगे। फाइल पुनः बनाने से मेरा अभिप्राय यह है कि ऋण सम्बन्धी कुछ कागजात, मंजूरी सम्बन्धी कुछ कागजात तथा अदायगी सम्बन्धी कुछ कागजात मौजूद हैं। उन्हें केन्द्रीय कार्यालय से अथवा शाखा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

वह फाइल एक ऋण तथा एक गारंटी से सम्बन्धित है। उस ऋण की अदायगी की जा चुकी है तथा गारंटी समाप्त हो गई है। यह सच है कि फाइल गायब है, लेकिन उसका मारुति लिमिटेड की ओर अन्य बकाया राशि से कोई सम्बन्ध नहीं है। मारुति लिमिटेड की तरफ बैंक का 21 लाख कुछ रुपया बकाया है जो कि मशीनों के एवज में दिया गया है। इसलिए बैंक को इस फाइल के खो जाने से कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने पूछा है कि क्या इस फाइल को उन कागजात की सूची में दिखाया गया था, जो बैंक का कार्यालय बदलते समय तैयार की गई थी। मैं ने कहा है कि इस बात का पता मई, 1974 में चल गया था कि फाइल गायब है। इस से अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक श्री कालरा का सम्बन्ध है यह सच है कि उसका हाल में दो महीने पहले हैदराबाद का तबादला किया गया है। वह क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी थे। मेरे पास इतनी ही जानकारी है। उनकी किसी के साथ सांठगांठ थी, मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो फाइल मई, 1974 से गायब थी उसके बारे में 1977 तक सूचना क्यों नहीं दी गई।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने उत्तर दे दिया है इस समय जो कुछ मैंने कहा है, उससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी नहीं हैं। श्री युवराज नहीं हैं। श्री अन्नत देव नहीं हैं। अब हम अगली मद लेते हैं, श्री साठे।

श्री वसन्त साठे : मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कल जो दुखद घटना हुई है उस का स्पष्टीकरण दें। मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उन मामलों में जिनके बारे में जांच आयोग गठित किये जा चुके हैं श्री संजय गांधी तथा किसी और की वकालत नहीं कर रहा हूं। परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है श्री संजय गांधी की अग्रिम जमानतों में यह कोई शर्त नहीं है कि वह दिल्ली से बाहर न जायें। माननीय गृह मंत्री इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यदि ऐसी कोई शर्त नहीं है तो किसी अन्य नागरिक की भांति श्री संजय गांधी भी जहां चाहें, जा सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश कल किसी अधिकारी द्वारा श्री संजय गांधी और उनकी पत्नी को रोका गया उन्होंने जब यह पूछा कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, तो बताया गया कि इस बारे में समुचित अधिकारी उन्हें बतायेगा। वे वहां प्रतीक्षा करते रहे। जब उन्होंने अपने वकील से फोन करने की अनुमति मांगी तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई। श्री संजय गांधी ने जो रिपोर्ट लिखाई है, उसमें यह बात दर्ज है। क्या सरकार का कोई निदेश अथवा आदेश था कि श्री संजय गांधी तथा श्रीमती मेनका गांधी को दिल्ली से बाहर न जाने दिया जाये ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने कल नियम 377 के अधीन एक मामले की लिखित सूचना दी थी और आपने विनिर्णय दिया था कि वह मामला उठा सकेंगे और मंत्री महोदय उत्तर देंगे। क्या ये सब बातें जो वह इस समय कह रहे हैं, लिखित सूचना में थी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वे पूर्व सूचना में नहीं थी। मैंने उन्हें नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दे दी थी। अब गृह मंत्री स्वयं वक्तव्य देना चाहते हैं चूंकि कल मैंने उन्हें मामला उठाने की अनुमति का वचन दिया था इस लिए मामला उठाने की अनुमति दे रहा हूं। अब वह अपना प्रश्न उठायें।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं माननीय सदस्य के बीच में बोलना नहीं चाहता। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों में, ध्यान आकर्षण के मामलों में भी ऐसे स्पष्टीकरण जरूरी हैं जिनमें सभा का इतना समय लग जाता है। मैं आप से मार्गदर्शन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मार्गदर्शन स्पष्ट है। नियम के अन्तर्गत मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, परन्तु स्पष्टीकरण के नाम में बहुत अधिक समय लिया जाता है। यदि सभा मेरी सहायता करें, तो मैं सभा में नियंत्रण कर सकता हूं। इससे सभा का काफी समय बचेगा।

श्री एच० एम० पटेल : आपने ध्यान आकर्षण के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। श्री साठे ने नियम 377 के अधीन मामला उठाया है। अतः उन्हें भाषण न देकर केवल वही मुद्दा उठाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे जब कल हवाई अड्डे से वापस आये तो वह इतने उत्तेजित थे कि कोई अत्यन्त गम्भीर बात हो गई है। श्री साठे अपनी बात पूरी करें ताकि गृह मंत्री अपना वक्तव्य दे सकें।

श्री वसन्त साठे : गृह मंत्री अपना वक्तव्य दें।

1 जुलाई, 1977 को पालम हवाई अड्डे पर श्री संजय गांधी और उनकी पत्नी से संबंधित कथित घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ALLEGED INCIDENT AT PALAM AIRPORT ON 1-7-77 RELATING TO SHRI SANJAY GANDHI AND HIS WIFE

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : कल श्री बसन्त साठे ने पालम हवाई अड्डे पर श्री संजय गांधी तथा उनकी पत्नी से सम्बन्धित कथित घटना का मामला सदन में उठाने की अनुमति मांगी थी और आपने मुझ से इस विषय में तथ्य मालूम करने के बाद एक वक्तव्य देने के लिए इच्छा व्यक्त की थी ।

2. श्री संजय गांधी और उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी ने इंडियन एयर लाइन्स की फ्लाइट नं० 182 जिसे कल प्रातः 9.25 बजे बम्बई को रवाना होना था, में आरक्षण कराया था । उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर सिक्युरिटी काउंटर पर प्रातः 9 बजे से कुछ पहले सूचना दी और उनकी सामान्य जांच की गई । चूंकि श्री संजय गांधी अपना पासपोर्ट जब्त किये जाने तथा पाइलट लाइसेंस समाप्त किये जाने के बाद पहली बार दिल्ली हवाई अड्डे से यात्रा कर रहे थे अतः सिक्युरिटी काउंटर पर कार्यभारी निरीक्षक ने इस मामले को ड्यूटी पर अपने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस उप-अधीक्षक के ध्यान में लाना उचित समझा । श्री संजय गांधी तथा श्रीमती मेनका गांधी से ड्यूटी पर सुरक्षा कर्मचारियों ने हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा । अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करने के बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने श्री संजय गांधी तथा श्रीमती मेनका गांधी को करीब 15 मिनट बाद सूचित किया कि हवाई जहाज पर चढ़ सकते हैं । हवाई जहाज में यात्रियों का चढ़ना अभी जारी था और उसने उड़ान नहीं भरी थी । लेकिन श्री संजय गांधी तथा श्रीमती मेनका गांधी ने फ्लाइट से जाने से इन्कार कर दिया । हवाई जहाज प्रातः 9.40 बजे चला गया । श्री संजय गांधी ने हवाई जहाज पर चढ़ने के बजाय अपने कानूनी सलाहकारों तथा अपने कुछ मित्रों को बुलाया तथा उनकी सहायता से एक शिकायत तैयार की और उसे ड्यूटी पर पुलिस उप-अधीक्षक को दे दिया ।

3. सुरक्षा कर्मचारियों को सन्देह होने पर किसी यात्री को विलम्ब से जाने के लिए अनुमति देने का पूरा अधिकार है । मुझे सूचित किया गया है कि श्री संजय गांधी तथा श्रीमती मेनका गांधी को केवल थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की असुविधा के अलावा और किसी तरह से परेशान नहीं किया गया ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कल श्री साठे ने नियम 377 के अधीन मामला उठाना चाहा था और आपने कहा था कि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे । मेरा व्यवस्था का पहला प्रश्न यह है । गत सत्र में जब मैंने नियम 377 के अधीन मामला उठाया था और माननीय विधि मंत्री जब वक्तव्य देने वाले थे तो दूसरी ओर से काफी हंगामा मचा था और आपने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी थी । अब माननीय गृह मंत्री ने आपके कहने पर एक वक्तव्य दिया है । क्या आपका यह आदेश पिछले पीठासीन अधिकारी के आदेश के अनुरूप है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या किसी प्राइवेट नागरिक के साथ ऐसी घटना घटित होने पर आप किसी सदस्य को मामला उठाने की अनुमति देंगे ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या आप गृह मंत्री को ऐसा वक्तव्य देने की अनुमति देंगे क्योंकि यह सदस्यों के अधिकारों से सम्बन्धित है ?

अध्यक्ष महोदय : मामले को और आगे न बढ़ाया जाये । कल विरोधी पक्ष के नेता की अनुमति से यह पत्र मेरे पास भेजा गया और उन्हीं की सहायता से मैंने इसे आज के लिये स्थगित किया था । आज भी जो पत्र मुझे मिले मैंने सम्बन्धित मंत्रियों को भेज दिये हैं । उन्होंने उत्तर दिया है कि वे उनके उत्तर देने की स्थिति में नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं कि वे उनके उत्तर तुरन्त दें । कोई भी मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता । यदि माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है तो वह इन्कार कर सकते हैं । माननीय गृह मंत्री को जानकारी मिल गई और उन्होंने उत्तर दे दिया । यह आवश्यक नहीं कि मंत्री उत्तर अवश्य दें ।

श्री ज्योतिमर्य बसु : लोग देश से बाहर निकल भाग रहे हैं । श्री कमल नाथ देश से भागने का प्रयास कर रहे हैं। श्री चावला हवाई जहाज पर चढ़ते समय पकड़े गये । श्री संजय भी भागने का प्रयास कर रहे हैं । सी० आई० ए० इसकी व्यवस्था कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है ताकि लोकतंत्र विरोधी समाज विरोधी और भ्रष्ट लोग देश छोड़ कर न भाग सकें । मैं इस सम्बन्ध मे एक स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

नक्सलवादी लड़कियों को फांसी दिए जाने के बारे में

RE-EXECUTION OF NAXALITE GIRLS

श्री समर गुह : 18 वर्ष की एक लड़की को 18 जुलाई को फांसी दी जाने वाली है । मैंने इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है । मैंने नियम 377 के अधीन भी सूचना दी है । श्रीमती रेनु मुखर्जी और मोहिना धाक को फांसी होने वाली है और समूचे पश्चिम बंगाल के लोगों में इस बारे में रोष है । कृपया मुझे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है । आज सुबह मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है । यह गम्भीर बात है । परन्तु मुझे इसकी जांच करनी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार भी मामले पर विचार कर रही है । कहा गया है कि मंत्री जेल में जाकर उनसे मिले हैं । वह मुख्य मंत्री से परामर्श कर रहे हैं । राज्य सरकार को निर्णय लेना है । मुख्य मंत्री की सहमति तथा आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति या औरत को फांसी

[अध्यक्ष महोदय]

नहीं लगाई जा सकती । माननीय सदस्य ने आज 10.30 बजे नोटिस दिया । और आज ही वह मामला उठाना चाहते हैं । माननीय सदस्य मुझे समय दें । गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये ।

श्री समर गुह : गत 5 वर्षों में यह परम्परा रही है कि जब कभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना या नियम 377 के अधीन सूचना दी जाती है तो सदस्यों को बताया जाता है कि सूचना गृहीत की गई है या नहीं । मुझे इस बारे में सूचना नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : आप 10.30 बजे सूचना देकर 10.45 बजे उत्तर चाहते हैं, ऐसा सम्भव नहीं है । गृहित किये जाने या न किये जाने के बारे में सूचना सचिवालय द्वारा दी जायेगी ।

श्री समर गुह : मैं चाहता हूं कि मुझे इस बारे में सूचना दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा और यदि इसे गृहीत नहीं किया गया तो आपको सूचना दी जायेगी । गृह मंत्री वहां की सरकार से फोन पर बात करेंगे । वह उन्हें बचाने का कोई रास्ता ढूढ़ेंगे । सोमवार या मंगलवार को ऐसा करना सम्भव होगा । 18 तारीख से पहले सारी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री समर गुह : मैं इस बारे में चिन्तित हूं क्योंकि यह एक 18 वर्षीय लड़की के जीवन मृत्यु का प्रश्न है । जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा तब तक मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में नहीं बदला जा सकेगा । 18 जुलाई अन्तिम तारीख है । राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । यह केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं । कोई मंत्री, या मुख्य मंत्री या गृह मंत्री ऐसा नहीं कर सकते ।

अनुदानों की मांगें—1977-78
DEMANDS FOR GRANTS 1977-78
कृषि और सिंचाई मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि हम इस मंत्रालय की मांगों पर निर्धारित समय से अधिक समय लगा चुके हैं, फिर भी सदस्यों की मांग है कि कुछ समय और दिया जाये। मुझे इसके लिए समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु आप लोगों को किसी अन्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने के लिए कुछ कम समय मिलेगा । ऐसी स्थिति में मंत्री जी वाद विवाद का उत्तर सोमवार को देंगे ।

मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप नए सदस्यों को अपना प्रथम भाषण करने का अवसर दें क्योंकि प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन की इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ समस्याएं होंगी ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्रीमान आपने कहा है कि समूची सभा ने मांग की है कि कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने के लिए समय बढ़ा

दिया जाये। सरकार ने पहले इन मांगों पर चर्चा करने के क्रम को बदला। पहले विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होनी थी, किन्तु क्रम में परिवर्तन कर दिया गया। मैं देखता हूं कि रोज ही मांगों पर चर्चा करने का समय दो या तीन घंटे बढ़ा दिया जाता है। कार्य सूची में इस तरह परिवर्तन करने से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों या किसी सार्वजनिक सभा में नहीं जा पाते। अब तो कई मंत्रालयों की मांगें एक साथ स्वीकृत करनी पड़ेंगी। मेरा अनुरोध है कि इस मंत्रालय के अलावा अन्य किसी मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने का समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : यह काम कार्यमंत्रणा समिति का है।

Shri Raghunath Singh Verma (Mainpuri) **:** The fact that this year 30 per cent budget is going to be spent on agriculture and irrigation is something very welcome, Ours is an agricultural country where 75 per cent people depend on agriculture for their livelihood. But it is regrettable that our natural resources are not being properly utilised. Even to this day 25-30 per cent of our land is being irrigated. This is the position in all the States except Haryana and Punjab. In our country irrigation is mainly done from rivers, tanks and canals. Our rivers overflow with water during the rainy season and often create floods. If big dams are constructed on the rivers not only water would be available for irrigation but the loss caused by floods would also be prevented.

As regards supply of electricity to the farmers, it is not being supplied on minimum guarantee basis. For want of electricity thrashing of wheet cannot be done in many places. So more power should be supplied to the farmers. It would be better if the factories are supplied power during the night and the farmers get it during the day.

If the ravines of Yamuna, Chambal and Sengar rivers are levelled enough cultivable land can be distributed to the landless persons.

In Mainpuri district of Uttar Pradesh there are vast barren lands which can be made cultivable with Central assistance and then thousands of families can be settled on it.

It is necessary that Agriculture is recognised as an industry. So long as this is not done no real progress can be made in agriculture.

In order to protect agriculture from natural calamities, it is necessary to have crop insurance. This is done in most of the foreign countries. We should also make a beginning in this regard.

In my area the entire crop has been destroyed by a severe hailstorm and the farmers are in great trouble. Some relief must be given to them by the Centre as well as the State Government.

There is need to encourage animal husbandry which is the subsidiary vocation of the farmers. Some financial assistance should be given to the farmers so that they could keep cattle.

In Mainpuri districts of Uttar Pradesh the water is so saline that if it is used in irrigation the seeds do not grow. So arrangements for sweet water should be made there.

Although there are three or four canals in Mainpuri district, the people there do not get any water from them for irrigation. The Central Government should ask the State Government to give sufficient water to that district from the proposed Ramganga Project.

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : कृषि और सिंचाई को महत्व देने और उसके लिए अधिक धन की व्यवस्था करने के लिए जनता सरकार को बधाई दी जानी चाहिए।

कृषि में बरानी खेती को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसा किए बिना हम कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते। हमें अपने देश में खाद्यान्नों का अधिकाधिक उत्पादन करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिये।

[श्री डी० बी० पटिल]

किसानों को लाभकारी मूल्य दिए जाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में उसे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और वह अधिकाधिक उत्पादन करने में रुचि नहीं रखेगा । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

भूमि सुधार कानूनों को अच्छी प्रकार लागू नहीं किया जा रहा है । कांग्रेस सरकार ने अपने शासन के दौरान जो कानून बनाए थे वे संतोषजनक नहीं हैं । इस सरकार की नीति तो मात्र इतनी ही है कि पिछली सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उन्हें लागू किया जाये ।

महाराष्ट्र में सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ रखी गई है । देश में भूमि की कमी को देखते हुए भारत में 10 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि की सीमा निश्चित करना उचित नहीं है । भूमि के समान वितरण करने पर ही खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता है ।

देश के लाखों गांवों में पीने का पानी भी नहीं है । महाराष्ट्र में ही ऐसे 19,000 गांव हैं । सरकार को इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ।

महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर समुद्रीय तट है । और इस कारण वहां भूमि का अत्यधिक कटाव होता है । इस कटाव के कारण अनेकों गांव और कस्बे नष्ट हो गए हैं । इस समस्या को हल करने के लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए और तत्काल कुछ ठोस उपाय किए जाने चाहिएं ।

महाराष्ट्र में कर वसूली एकाधिकार के रूप में की जाती हैं । केन्द्र इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा मदद करने की अनुमति देने को तैयार नहीं है । उनका कहना है कि चूंकि यह व्यवस्था केवल एक ही राज्य में है इसलिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकता । हम इस राय से सहमत नहीं हो सकते । सरकार को चाहिए कि वह अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था करने को प्रोत्साहन दे ।

कृषि उत्पादों के मूल्य इस बात को ध्यान में रखे बिना तय किए जाते हैं कि यह सिंचित भूमि का उत्पादन है अथवा बरानी खेती का । यह उचित बात नहीं है । सरकार दोनों प्रकार के अनाजों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करे ।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर) : इस बजट में केन्द्र, राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों के परिव्यय के लिए 27 प्रतिशत धन की व्यवस्था की गई है । ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है । अतीत में भी ऐसा किया गया है । अब तो आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं को लागू करने के लिए उचित तंत्र की स्थापना की जाये । सिंचाई के क्षेत्र में निस्संदेह प्रगति हुई है । किन्तु इसकी गति धीमी रही है । बड़ी छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं अपनी निश्चित अवधि के अन्दर पूरी नहीं हो पायी हैं । इतना ही नहीं परियोजना के पूरा होने और उसके लिए किए गए प्रयत्नों के उपायों में बहुत अन्तर है । सिंचाई विधियों के बारे में कृषि कार्य करने वाले लोगों को अवगत किया जाना चाहिए । हमें कम से कम पानी का उपयोग करके उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

राज्य स्तर पर बनाए गए सिचाई अधिनियमों में फसल प्रणाली के सम्बन्ध में उपबन्ध किए गए हैं। फसल प्रणाली लागू करके हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं यदि उयह प्रणाली तैयार कर दी जाये और राष्ट्रीय फसल नीति का गठन हो जाये तथा किसी विशेष क्षेत्र को एक विशेष फसल के लिए निश्चित कर दिया जाये तो सम्भव है कि देश में खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन हो।

यदि खाद्यान्नों का उत्पादन महंगा होगा तो उनके मूल्य भी अधिक होंगे। देश के कुछ भागों में सिंचाई की दर बहुत अधिक है। यूरिया उर्वरक का मूल्य बढ़कर 28,00 रुपये हो गया है। उर्वरक कारखाना लगाने की लागत भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में उर्वरकों का मूल्य कैसे कम हो सकता है। इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है।

भारतीय कपास निगम अपना कार्य बड़े ढीले ढंग से कर रहा है। ऐसा भी समय था जब रुई का उत्पादन जरूरत से अधिक था और उसका निर्यात करना पड़ा था। किन्तु फिर इसका उत्पादन कम हो गया, फलस्वरूप इसका आयात करना पड़ा। इस समय देश में 400 करोड़ रुपये के संश्लिष्ट रेशे का आयात करना पड़ता है। इससे भारतीय किसान रुई के उत्पादन में रुचि नहीं रखता। कुछ लोगों का हित रेशों के आयात में हो सकता है। भारतीय किसान को अधिक रुई का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

देश में प्राथमिक ऋणदाता समितियां हैं किन्तु वे समय पर ऋण नहीं देतीं। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में अधिक रुपया जमा होने लगा है। किन्तु बैंकों से होने वाले लाभ में गिरावट आई है। पहले .8 प्रतिशत लाभ होता था आज यह घटकर .1 प्रतिशत हो गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि बैंकों को कृषि क्षेत्र के बट्टे-खाते डालने पड़ते हैं या औद्योगिक क्षेत्र को। यदि ऐसा कृषि क्षेत्र में होता है तो हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा तथा उन परिस्थितियों का पता लगाकर उन्हें दुर करना होगा।

कुछ राज्यों में भूमि सुधार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए और उसे कारगर ढंग से लागू करने के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

Prof. Sher Singh (Rohtak): In our country where more than 72 per cent of the people are engaged in agriculture, agriculture should be treated as a primary industry. Efforts has been made this time to increase the budget allocation for agriculture to 30 per cent of the total expenditure. But it is illusory and very inadequate.

So far as the agricutural development is concerned, there are certain limitations. Our land is limited and water is scarce. With the growth of population, the pressure on land will increase. In view of our limited resources, we have to obtain the maximum and the best utilization of land and water available in the country. Since water is the most vital input for agriculture, special attention has to be paid to the maximum and best utilisation of water for irrigation.

There are about 70 per cent small farmers and they are unable to get the fair price for their produce. It is said that a good deal has been done for the benefit of small and marginal farmers, but it is found that only 7 per cent of the farmers have been benefited. In reality, no benefit has accrued to marginal farmers and agricultural labourers. Therefore, more attention should be given to extending larger facilities to marginal farmers and landless labourers.

There is a good deal of unemployment and under-employment in the rural sector is to be brought about. Schemes for integrated rural development has to be drawn up and implemented effectively. More attention has to be paid to the formulation of action plans for the

[Prof Sher Singh]

development of villages. The scientists of I.C.A.R. have been entrusted with the job of drawing up such plans. But no comprehensive plan has been drawn up so far for the best utilization of natural resources and the man power that is available in the country.

In order to bring about the integrated rural development, new cottage industries should be started and efforts should be made to apply modern technology to them. Measures should be taken to manufacture small agricultural implements. The village industries should be developed and the work of processing should be undertaken in rural areas. The subject of village and cottage industries should be taken away from the Industries Department and it should be placed under the Rural Development Department. This will help in creating larger employment opportunities in the rural sector.

Shri Shri Krishna Singh (Monghyr) : I consider the present budget as an interim budget because it appears that within the old frame work, efforts has been made to fulfil only the earlier commitments, or the schemes that had already been undertaken. Government should formulate such plan in future as will fulfil the needs and aspirations of the rural people. The schemes of the previous Government have brought about larger State control and centralisation, but the new Government should have the objective of decentralisation. The plans should start from the lowest level.

There is an institution known as Central Commission which is nothing less than a white elephant. Its working is very defective and it requires a complete overhauling. Many important functions had been assigned to them but one will be highly disappointed to see their performance and achievement. It is, therefore, suggested that Committee consisting of technocrats and members of Parliament should be set up to examine the progress made so far in the implementation of various river projects. Similarly the flood Control Commission has also failed to deliver the goods. It is most painful to learn that they have done nothing to prevent the soil erosion in North Bihar. The Soil Conservation Department has also done nothing.

There are several rivers in South Bihar, and they can be utilised for creation of hydro-electricity.

There are vast tracts of fallow land in the country. A land army can be set up and assigned the jobs of developing these tracts of fallow land. It will create employment opportunities for the unemployed rural youths.

Nothing has been done to bring about proper distribution of land. An enquiry committee should be set up to evaluate the progress made so far in this regard.

Provision should be made for giving more credit facilities to farmers. Efforts should be made to manufacture such power tillers as can be used by small and marginal farmers.

Schemes should be drawn up to start lift irrigation from the rivers flowing in Bihar. It is astonishing that in South Bihar only 13 per cent of the land is under irrigation. No schemes have been drawn up so far to utilise underground water.

There are also large drought prone areas in Bihar. If master plan should be drawn up and should be implemented immediately to provide relief to the people of those areas, because the men and animals in these areas still starve for drinking water.

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे (सांगली) : समूचे भारत के 25 प्रतिशत औसत की तुलना में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में केवल 9 प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है । इन दोनों राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

आन्ध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर पोनमपढ़ और गोदावरी नदी परियोजना आदि तीन परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता मिली है सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की परियोजनाओं को भी उसी तरह विश्व बैंक से सहायता दिलाए ।

अनुदान देते समय परियोजनावार विचार करने के बजाय और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये । दक्षिण महाराष्ट्र की परियोजनाओं को ब्लाक अनुदान बड़ी मात्रा में दिया जाना चाहिए ।

कृष्णा जल न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार कोयाना पन बिजली परियोजना के पश्चिमी मोड़ की नहर में 30 टी० एम० सी० की कमी की जा रही है । इस जल का उपयोग सांगली के सूखे क्षेत्र में करने पर विचार किया जाये ।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों पर बकाया राशि की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है । इस सम्बन्ध में इन लोगों के साथ सहानुभूति बरती जाये और उन्हें कुछ राहत दी जाये । उन्हें ऋण के भार से मुक्त करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जायें ।

यदि सरकार और राज्य सरकारें महंगाई भत्ते और समयोपरि भत्ते के रूप में अपने कर्मचारियों को करोड़ों रुपया दे रही है तो फिर सरकार को चाहिए कि वह इन सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों आदि से ऋण लेने वाले किसानों की कुछ मदद करने से न कतराये । क्योंकि इन लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप वे इस राशि का भुगतान नहीं कर पाते । यह ऋण बट्टे-खाते में डाल दिया जाना चाहिए ।

सूखा ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की किसी भी तरह मदद नहीं की जा रही है । सरकार को इस दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए और यह कार्यक्रम 1977–78 के दौरान भी चलाया जाना चाहिए ।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बीर उस्मानाबाद आदि तीन जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किए गए हैं । मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित न किया जाये । प्राय: हमने देखा है कि जब कभी कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों की घोषणा की गई है तो सरकार ने कभी कभी उत्पादकों के हितों का ध्यान नहीं रखा है । सरकार के ऐसे निर्णय हमेशा ही उत्पादकों के हितों के विरुद्ध हुए हैं । कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादकों के हित का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ।

Shri Ambika Prasad Pandey (Banda) : The future of our country depends on the agriculture and the development of rural areas. Because our 75 per cent population is living in villages and all of them are depended on agriculture. They earn their livilihood by tilling their lands. In order to develop our nation we will have to solve our food problem and we should try to be self-reliance.

Although this time more allocation has been earmarked for agriculture, but we have to see that the schemes and programmes are properly implemented. I hope the present Government will not ignore the development of our agriculture as the previous Government did during their rule of 3o years. Irrigation is most essential for the development of agriculture. If we want to be self-sufficient in agriculture we will have to provide full irrigation facilities to the farmer. I hope now we will not be fed on slogans only.

Agriculture in itself is a very big industry. In fact 50 per cent of our industries depend on agriculture. Therefore, agriculture must be accorded high priority in respect of supply of power.

Next to power, dams are very necessary. Floods are a recurring menace. A national floods control scheme must be prepared to save the people from this annual scourge.

[Shri Ambika Prasad Pandey]

Efforts should be made to solve inter-state river disputes so that more water and power can be made available to the concerned States. All inter-State rivers should be considered national property and should be harnessed in the interest of the nation as a whole.

I come from Banda district. This distict is rich in natural resources and mineral deposits. But we have yet to exploit those resources. Since a large part of that district is a drought-prone area, I will request the hon'ble Minister to provide more tube-wells and to increase irrigation potential. Necessary power to energise these wells might not be available, therefore, they must be given generating sets also. Schemes to provide lift irrigation in that area be provided.

A comprehensive programme covering all aspects of agricultural economy should be prepared for coordinated development of that area.

We should fix remunerative prices for our agricultural commodities. We should make arrangements to supply inputs required by the farmers at a cheaper rate.

In Uttar Pradesh, power charges are levied according to installed capacity. This is not fair. Charges should be levied according to the power consumed by the agriculturist.

Working of F.C.I. needs improvement. Warehousing facilities are also inadequate. Bags of food grain continue to lie in the open and they get damaged. We should pay attention towards this aspect to avoid wastage.

With these words I support the Budget Demands of this Ministry.

***श्री ए० अशोकराज** (पेरम्बलूर) : इस वर्ष के बजट में कृषि के लिए बहुत कम राशि रख जाने से मुझे अप्रसन्नता हुई है । यह सभी जानते हैं कि हमारी 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है और हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 47 प्रतिशत है फिर भी इस बजट में केवल 30 प्रतिशत राशि कृषि के लिए रखी गई है । मैं चाहता हूं कि कम से कम 50 प्रतिशत राशि कृषि के लिए रखी जाये ।

गत तीन दशकों में देश के 5,80,000 गांवों में से केवल 1.75 लाख गांवों में पेय जल की व्यवस्था है । यदि गति ऐसी ही रही तो सारे गांवों में पेय जल की व्यवस्था के लिए छ: दशाब्दियां लग जायेंगी । इस दिशा में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये ।

जिन किसानों के पास आधा एकड़ या उससे कम भूमि है उन्हें विवाह, शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए ऋण की जरूरत पड़ती रहती है । महाजनी की समाप्ति के बाद उसके पास कोई वैकल्पिक साधन नहीं रह गया है । केन्द्रीय सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करना चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की अधिक शाखाएँ खोली जानी चाहियें । हमारी कृषि ऋण समितियां सभी किसानों को ऋण सुविधाएँ देने में बिल्कुल असमर्थ हैं ।

अभी तक फसल बीमा योजना नहीं बन सकी है । सरकार को किसानों के लाभ हेतु फसल बीमा, पशु बीमा आदि के लिए वैधानिक प्रस्ताव तैयार करने चाहियें ।

---

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summarised translation based on English version of the Speech delivedred in Tamil.

750 बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाएं चालू की जाटी थी । उनमें से केवल 450 ही पूरी हुई हैं और कार्य कर रही हैं । शेष 300 को पता नहीं कब पूरी हों ? खेद है कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने के बावजूद भी हम अपने देश में केवल 46 प्रतिशत जल का ही उपयोग कर पाये हैं । कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु शेष 54 प्रतिशत जल को भी उपयोग में लाना चाहिये ।

प्रतिवर्ष बाढ़ से हमें बहुत हानि होती है । उन्हें रोकने का उपाय किया जाये । इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनाज चूहे चाट जाते हैं । भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग से हम 3 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि सुविधायें उपलब्ध करा सकते हैं । भूमिगत जल संसाधनों की खोज युद्धस्तर पर की जानी चाहिये ।

हमारे पास केवल 56 लाख टन खाद्यान्न के भंडार की व्यवस्था है लेकिन हमारे सुरक्षित भंडार में 1,80,00,000 टन खाद्यान्न है । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कहीं भंडारण के अभाव में अनाज कीड़ों तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से खराब न हो जायें ।

किसानों को दिया जाने वाला वसूली मूल्य लाभप्रद नहीं है । गेहूं का वसूली मूल्य चावल की तुलना में बहुत ऊंचा है । यह बहुत दुःख की बात है कि जहां एक ओर गेहूं को 25 रु० प्रति क्विंटल की राजसहायता दी जा रही है वहां दूसरी ओर चावल को केवल 1.50 रु० की राज सहायता दी जाती है । गेहूं खाने वालों और चावल खाने वालों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये ।

आज भी खेतिहर मजदूरों को न्यूमतम मजूरी प्राप्त नहीं हो रही । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि खेतिहर मजदूरों को कम से कम उतनी मजदूरी तो अवश्य मिले जिसकी कानून में व्यवस्था की गई है । कृषि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बिजली की दर बहुत अधिक है । कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इसमें समुचित कमी की जानी चाहिए ।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिये । अतिरिक्त पड़ी भूमि को भूमिहीनों में अविलम्ब बांट दिया जाना चाहिये ।

प्रति वर्ष 10 लाख पेड़ ईंधन के लिए काटे जाते हैं । यदि इसी रफ्तार से पेड़ काटे जाते रहे तो देश 10 वर्षों के भीतर ही बन्जर बन जायेगा । लोगों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार को समय-बद्ध कार्यक्रम अपनाना चाहिये । इसके लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये ।

पेराम्बलूर में कोली मलाई का जल प्रपात है जिसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है । पूली अमचोली में बांध बनाने से वहां के लोगों को लाभ होगा । पच्छीमलाई के जल प्रपात का प्रयोग भी, बांध बना कर, कृषि के लिए किया जा सकता है ।

[श्री ए० अशोक राज]

ेराम्बलूर में गत 4 वर्षों से निरन्तर सूखा पड़ रहा है। इस संकट को दूर करने के लिए नलकूप बनाने का वृहद कार्यक्रम शुरु किया जाना चाहिये। गंगा के जल को कावेरी के जल के साथ मिलाने की वृहद योजना को हाथ में लेने से पहले तलिमलनाडु की सात नदियों को आपस में जोड़ने की अत्यधिक आवश्यकता है इसके द्वारा देश खाद्यान्नों के मामले में ात्म-निर्भर बनेगा और आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मेरा पुन: आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार हमारे राज्य को भरपूर वित्तीय सहायता ादान करे ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पेराम्बलूर को विनाश से बचाया जा सके।

Shri Sukhdev Prasad Verma (Chatra) : Sir, at the outset I support the Demands of Ministry of Agriculture. Agriculture is the basic thing because you cannot wipe out poverty if our agriculture remains undeveloped. So our economy mainly depends upon agriculture. Our farmers can be classified into four categories, namely, big farmers, medium farmers, small and marginal farmers. The number in the last two categories is the biggest. They are very poor people and cannot invest money in their lands.

Thirty years have elapsed since we became independent but we could not increase the irrigation potential to the desired level. With this speed, we cannot develop our agriculture. It is a matter of regret that uptil now we have done very little for these small farmers. Even now they use the old and traditional methods of agriculture. They cannot afford to purchase machinery. Therefore, the Government should take steps to improve the lot of these people.

The Janata Government has given higher priority to the agriculture and has increased the allocation therefor. But the prices of all commodities have also shot up considerably. Therefore, considering this increase, the increase in the allocation will make little or no impact.

A time-bound programme should be prepared to increase irrigation facilities and to increase production of foodgrains. This will improve the lot of farmers. Government should see that such a programme is implemented as quickly as possible. Only then, our economy will improve and our country will become self-sufficient.

Our agriculturists need money to invest in land. No doubt there are cooperative banks to extend credit to them, but most of these cooperative banks have become family institutions especially in Bihar. Steps should be taken to free those cooperative and banking institutions from the clutches of a few rich farmers and easy credit should be made available to the poor and marginal farmers.

My constituency comprises of Palam, Hazaribagh and Gaya. It is hilly as well as drought prone area. The State Government had submitted a number of schemes to provide water and irrigation there. But all these are pending with the Centre for the last many years. The Government should see that these are sanctioned and implemented expeditiously.

Minor irrigation schemes can be of much use in that area. But the State Government does not have diamond rigs. The Government of India should provide these rigs.

Some parts of my constituency are most backward. The people do not get ever coarse grain continuously for three months. Some schemes should be formulated for the benefit of these people.

श्री अमर राय प्रधान (कूच-बिहार) : यह सच है कि इस वर्ष के बजट में कृषि के लिए अधिक प्रावधान किया गया है। परन्तु हमारा अनुभव यह रहा है कि बजट में दिए गए कार्यक्रम केवल कागजी कार्यक्रम ही बनकर रह जाते है। यदि सरकार इन कार्यक्रमों को लागू करती है, केवल तभी देश को लाभ हो सकता है। हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह से असफल रही है। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार जमींदारी का उन्मूलन

नहीं कर सकी है और भूमि सुधार के मूल सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं कर सकी है। उन कुछेक लोगों के कब्जे में अतिरिक्त और बेनामी भूमि है जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। 1954 में महालनोबिस समिति के प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि लगभग 6 करोड़ एकड़ भूमि फालतू है। लेकिन अब सरकार कहती है कि केवल 15 लाख हैक्टेयर भूमि है, जिसमें से 4.8 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित कर दी गई है। यद्यपि बटाई की खेती करने वालों और बरगादारों के अधिकार की रक्षा के लिए अधिकांश राज्यों ने भूमि सुधार अधिनियम बनाये हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें बेदखल किया जा रहा है। खेतीहर मजदूरों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। 10 वर्ष की अवधि में उनकी संख्या दुगनी हो गई है। दूसरी ओर उन लोगों की संख्या, जो अपनी भूमि स्वयं जोतते हैं, घटती जा रही है। किसानों को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। छोटे और सीमान्त किसानों एवं बटाईदारों का धीरे-धीरे बहिष्कार किया जा रहा है।

एक और बात यह है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित और लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। यह सच है कि गत कुछ वर्षों में कृषि उपकरणों का मूल्य काफी बढ़ गया है। यह भी सच है कि कच्चे पटसन, तम्बाकू धान और गेहूं के मूल्य उपभोक्ता सामान के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। सीमान्त किसान कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं कर पाते हैं। कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य 136 रुपए प्रति क्विंटल था जो बढ़ाकर 141 रुपए कर दिया गया है। जबकि इसके उत्पादन की न्यूनतम लगत 293.75 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। अतः उत्पादक को 310 रुपए प्रति वर्ष हानि हो रही है। कृषि अर्थ-व्यवस्था का यही दुर्भाग्य है और यहां सरकार ग्रामीण विकास में असफल रही है। अतः मेरा सुझाव है कि समूचे भारत में तेजी से आमूल सुधार किए जायें। बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों को फालतू और बेनामी भूमि वितरित की जाये।

पटसन, तम्बाकू, धान और गेहूं की खेती करने वालों को उचित और लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहिएं। सूखे, बाढ़ और अतिवृष्टि जैसी दैवी विपत्तियों से किसानों की अर्थव्यवस्था सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिए।

छोटे और सीमान्त किसानों तथा बटाईदारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। खेतीहर मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं।

***श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम** (मयूरम) : जनता सरकार ने देश के कृषकों की स्थिति के सम्बन्ध में जो दिलचस्पी दिखाई है वह सराहनीय है लेकिन दिलचस्पी दिखाने अथवा चिन्ता करने से कुछ नहीं होगा इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को करनी और कथनी का अन्तर समझना चाहिए तथा जनता सरकार द्वारा घोषित

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi translation of the English version based on the speech delivered in Tamil.

[श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम]

की गई सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जनता पार्टी के सदस्यों की करनी और कथनी का अन्तर बढ़ता जा रहा है।

तमिलनाडु में अधिकांश छोटे किसान और भूमिहीन खेतीहर मजदूर कृषि कार्य करते हैं। तंजोर के हरे भरे चरागाह कावेरी डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु के 5 करोड़ लोग तंजौर जिले की उदारता पर जीवित हैं। कावेरी जल के अभाव में यह स्थान मरुस्थल बन जायेगा अतः उत्तर में गंगा को दक्षिण में कावेरी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। लेकिन केन्द्र सरकार को अपने पद का सदुपयोग करते हुए कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के लिए समुचित जल सप्लाई करने के लिए कहा जाना चाहिए। तमिलनाडु को कावेरी नदी का समुचित जल प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से अनुरोध करना चाहिए अथवा इसे अनिवार्य बनाना चाहिये।

गत वर्ष कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को समुचित जल की सप्लाई नहीं की। भविष्य में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को अवश्य इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

सरकार ने छोटे किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। गेहूं और धान के वसूली मूल्यों में बहुत अन्तर है। गेहूं को 25 रुपए प्रति क्विंटल की राजसहायता दी जा रही है। जबकि धान को केवल 1.50 रुपए की राज सहायता दी जा रही है। गेहूं खाने वालों और चावल खाने वालों में यह भेदभाव क्यों है?

20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करके कांग्रेस दल की सरकार ने छोटे किसानों को समुचित सुरक्षा प्रदान की थी। ऋण राहत अधिनियम ने हजारों परिवारों को जीवन दान दिया। निहित स्वार्थों को बढ़ने से रोका गया। 1.76 लाख हरिजनों को रहने की जगह दी गई। जनता पार्टी की सरकार को छोटे किसानों के कल्याण के लिए अथक काम करना चाहिए।

केन्द्र सरकार गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने की योजना बना रही है। सरकार को गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों को भी आपस में जोड़ने के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि दक्षिण के लोगों को निरन्तर पड़ने वाले सूखे की विभिषिका से मुक्त कराया जा सके कृषि मंत्री को इस मामले पर निजी तौर पर ध्यान देना चाहिए।

Shri Ram Lal Rahi (Misrikh) The hon. Minister of Agriculture and Irrigation has stated that about 30 per cent of our budget has been allocated for agriculture. In a country which is predominantly dependent on agriculture, this allocation cannot be called a very big allotment of funds for agriculture.

There are no two opinions that production of wheat has considerably increased during the last few years. Steps should be taken to achieve green revolution in the production of paddy, oil seeds and pulses also.

There is need for linking all the rivers of our country. This will help in tapping our water resources for providing irrigation faciities and generating electricity.

Lakhs of acres of land on the banks of our rivers and rivulets is lying unused. Trees should be planted in this land.

Punjab, Haryana and U.P. are the states where people largely depend on agriculture. These states do not have mineral deposits while those states which have mineral deposits get grants for development of agriculture as well as utilisation of mineral wealth, Punjab, U.P. and Bihar get grants only for agriculture development. The Government should give more grants to these states for development of agriculture.

Jamuna Project is a big project. Unless Kichhan Dam is constructed this project cannot be executed properly.

We should take measures to store rain water. This water can be utilised for irrigation as well as generating electricity.

It is a fact that farmers do not get proper price for their produce. But while considering this question it has to be taken into account that there are only 15 to 20 per cent farmers who are in a position to sell their produce. Others have to purchase foodgrains to meet their requirements. If prices of foodgrains are increased, agricultural workers and factory workers will have to face lot of difficulty. This aspect should also be taken into account while considering any increase in price of foodgrains.

Loans were given to small farmers by the previous Government. In certain cases 'benami' loans were sanctioned. The poor farmers are deprived of their land in connection with realisation of loans from them. Steps should be taken to see that these people are not unnecessarily harassed.

Shri Chandra Shekhar Singh (Varanasi) : While supporting the demands for grants in respect of the Ministry of Agriculture and Irrigation, I would like to say a few things. Our farmers are not getting proper price for their produce. Therefore our agriculture is being ruined and villages are also being destroyed. Our villages have been neglected so far. No improvement is seen in agricultural sector. Steps should be taken to pay attention to the development of rural areas. For that purpose agriculture has to be given proper importance. We should treat agriculture as an industry.

[श्री सोनु सिंह पाटिल पीठासीन हुए]
[Shri Sonu Singh Patil in the Chair]

Prices of agricultural inputs like steel, fertilizer and tractors are rising, but prices of agricultural produce are going down. Government should see to it that farmers get their inputs at reasonable price and also get proper price for their produce.

There were about 25000 goats of good breed. Out of those only about 5000 are alive. My suggestion is that a farm should be opened at Etawah or somewhere else, where it is deemed proper for the development of this breed. We must give proper priority to dairy development. It is not a question of dairy development but it is a question of milk.

It is a matter of great satisfaction that allocation for rural development has been doubled. While considering the scheme for rural development we must give high priority to roads. There is need for development of roads in rural areas. Those roads should be linked with highways. Secondly, more attention should also be paid to the execution of minor irrigation projects. Thirdly, I suggest that interest free loans should be given to Harijans and Adivasis for poultry farming and piggery.

There has been an increase of expenditure to the tune of Rs. 10 crores on agricultural research. I must say that the Indian Council of Agriculture Research is not functioning properly. Corruption is the order of the day there. Scientists are not getting proper respect. Three scientists have already committed suicide. Steps should be taken to improve the working of ICAR. The scientists who had committed suicide were Sarvashri Vinod Saha, Chander Shekar and Kumari Jyoti. It is an ample proof how things are going on in the Council. So I must repeat that steps should be taken to improve the working of ICAR. In 1952, a very senior scientist of ICAR Shri Saha wrote a letter to Shri Swaminathan, before Committing suicide.....

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Mr. Chairman, there is a rule. He should not name the officers.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आप का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछली लोक सभा में इस बारे में घण्टों वादविवाद हुआ था और हजारों बार श्री स्वामीनाथन का नाम लिया गया था।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, अब नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं तथा श्री स्वामीनाथन का इन में कोई हाथ नहीं है। उन के नाम को नाहक बीच में लाना सही नहीं है।

श्री समर गुह : वह फिर गलत ब्यानी कर रहे हैं। वास्तव में डा० विनोदशाह की आत्महत्या के बाद 1972 में गजेन्द्रगडकर समिति बानाई गई थी। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से हों। परन्तु इस सिफारिश का उल्लंघन किया गया है।

सभापति महोदय : मैं इस बारे में जांच करूंगा और यदि कोई बात आपत्तिजनक हुई तो उसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

Shri Chander Sekhar Singh : The hon. Railway Minister is present in the House and the point I want to raise concerns both the Ministry of Railways as well as the Ministry of Agriculture. There is a total of about 60,000 kilometre long rail lines in our country and much land around the railway lines is lying unutilised. This land should be utilised for afforestation for agricultural operations.

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर): मैं श्री शिन्दे तथा बहन श्रीमती सिरोजिनी महीषी से सहमत हूं कि कृषि राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उत्पादन बढ़े तथा देश इस संबंध में आत्मनिर्भर हो और हम खाद्यान्न का निर्यात भी कर सके सरकार को पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं।

जहां तक कृषि उपज का संबंध है आंकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि हमारा कृषि का उत्पादन बहुत अस्थिर है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में जो गिरावट आई, वह बाढ़ों के कारण है। मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिस से बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सके।

बाढ़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमें 1976-77 में बाढ़ों से 751 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यदि हम 1953 से 1976 की औसत को हिसाब में लगाये तो हमें 205 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस लिए बाढ़ नियंत्रण को उच्चत्तम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं संयुक्त राज्य अमरीका गया था। वहां बाढ़ों के नियंत्रण के लिए तैनेसी घाटी योजना बनाई गई थी और उन्होंने इस योजना से बाढ़ों पर नियंत्रण कर लिया है तथा वहां उत्पादन बहुत बढ़ गया है। हम भी बाढ़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

हमारे यहां पानी जमा होने की समस्या है। इस से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राज्यों जैसा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि में पानी जमा हो जाने की समस्या मौजूद है। पानी के जमाव को दूर करने के लिए

नहरें बनाई जानी चाहिएं। जब तक जल निकासी ठीक नहीं होगी पानी जमा होता रहेगा। परियोजनाओं को लागू करते समय हमने जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। जब कभी हम किसी परियोजना का निर्माण करे हमें यह देखना चाहिए कि जल निकासी ठीक रहेगी।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंचाई परियोजना लागू करते समय बांध का निर्माण आरम्भ करने पर हमें पानी के बहाव के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए अन्यथा हम अपनी आवश्यकता से आधी सिंचाई क्षमता भी पैद नहीं कर पायेंगे।

हमारे देश के एक तिहाई से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। बारानी भूमि दो तिहाई से अधिक है। हमें पानी की व्यवस्था के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम नदी नालों आदि का पानी प्रयोग करते हैं, तो हम कुओं के माध्यम से भूमिगत जल का भी प्रयोग करते हैं। हमें सतही पानी का भी प्रयोग करना चाहिए।

केन्द्रीय सतह जल बोर्ड देश भर में सर्वेक्षण कर रहा है। यह कार्य बहुत धीरे किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास पूरे उपकरण नहीं हैं। उन्हें एक प्रकार से आसमानी नक्शों की आवश्यकता है। इससे कुओं का पता लगाना आसान हो जायेगा।

जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है, 1974–75 में कृषि मूल्य आयोग ने बताय था कि विभिन्न उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। उसने यह कहा था कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8.5 रुपये से बढ़ा कर 9.5 रुपये कर दिया जाये। लेकिन यह भी बहुत कम था। सरकार ने इसकी भी अनुमति नहीं दी। सरकार को गन्ने का मूल्य बढ़ा कर 12 रुपये कर देना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो गन्ना उत्पादकों को कठिनाई होगी।

Shri L. Sai (Surguja) : Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Agriculture Minister to certain sections and certain areas. There are crores of Adivasis, Harijans and persons belonging to other backward classes in our country. The previous Government had not paid attention to their uplift. We have to take steps to improve their lot.

I am an Adivasi myself and I know that the Adivasis do not hanker after service. They do not have much interest in business also. They have a special interest in agriculture. They have age-old traditional liking for agriculture. In order to ensure their development it is essential that they should be helped in their agricultural operations. Unless it is done their condition will not improve. Seeds and other agricultural inputs should be given to them in time.

So far as the question of irrigation is concerned, much work has been done on paper, but the fact is that no irrigation facilities have been provided in the backward areas inhabited by Adivasis. In Sarguja district of Madhya Prdesh irrigation facilities are meagre. Unless attention is paid to the development of backward areas these neglected areas will not progress.

I would also like to draw the attention of the House to this fact that the Adivasis do not get proper price for their produce. Adivasis of Sarguja, Raigarh and Bastar districts could not sell their 'srai' seed due to the wrong policies of the Government. They suffered heavy losses.

In hilly areas inhabited by Adivasis there are natural sources of irrigation. Even in utilization of those resources the Government did not help them. Some tax was imposed on Adivasis for utilizing that water because Government had put on some construction. This harassment of Adivasis is not good. The Minister should look into it.

There are hundreds of villages of Surguja district where even drinking water is not available to the people. The Government should see to it that drinking water is supplied to these people.

[Shri L. Sai]

Wood worth lakhs of rupees is taken from our district. But people there cannot take wood for fuel and making ploughs. They are harassed by officials of the Forest Department. This harassment should be ended.

श्री पूर्ण सिंह (तेजपुर) : महोदय, कृषि आयोजना में असंतुलन के कारण कुछ क्षेत्रों में पानी का अभाव है तथा कुछ में बाढ़ें आती रहती हैं। गत 30 वर्षों में सरकार ने 61 करोड़ रुपये खर्च किये परन्तु फिर भी ब्रह्मपुत्र के किनारे के पास 6 मील लम्बे भाग की सुरक्षा नहीं की जा सकती, जिसके परिणाम-स्वरूप आसाम में बाढ़ों का प्रकोप निरन्तर बना रहता है। यह बात मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहता हूं, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का हूं। गत तीस वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों में आने वाली बाढ़ों के कारण 50,000 हैक्टेयर से अधिक उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई है। बाढ़ों के कारण नदी तट अवरुद्ध हो गये हैं। बाढ़ का पानी तिब्बत और चीन से आता है और फिर आसाम और अरुणांचल प्रदेश में बहता है। भूमि का कटाव हो रहा है। तेजपुर रेलवे स्टेशन को भी बाढ़ों से नहीं बचाया जा सका है।

बजट में ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये की राशि के बराबर व्यवस्था की गई है। मेरा निवेदन है कि यदि आसाम को बाढ़ों से बचाना है तो इस उद्देश्य के लिए नियत 32 करोड़ रुपये की राशि से शीघ्र काम शुरू कर देना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 32 करोड़ रुपये की राशि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है।

मेरा सुझाव है कि कृषि मंत्रालय को अगले सत्र तक ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए कहा जाये ताकि अगले सत्र से काम आरम्भ किया जा सके।

ब्रह्मपुत्र के लिए खरीदे गये दो ड्रेजरों पर काफी धन राशि खर्च की गई है। सदन को यह जान कर आश्चर्य होगा कि पिछले 9 महीनों से ड्रेजरों को चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है और वे गोहाटी की गोदी में बेकार पड़े हैं। अतः जितना भी धन इन पर लगाया गया, वह सारा व्यर्थ गया। यदि निष्क-र्षण द्वारा ब्रह्मपुत्र का रुख मोड़ दिया जाये, तो ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ों से इतनी क्षति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों में यह भावना है कि उनकी उपेक्षा की गई है। गत तीस वर्षों के दौरान क्या कोई ऐसा पर्वतीय कार्यक्रम बनाया गया है जिससे पर्वतीय लोगों को सीढ़ीदार खेतों का सुझाव दिया गया हो, ताकि उन्हें बाढ़ों के विनाश से बचाया जा सके।

कृषि मूल्य आयोग ने धान की कीमत 74 रुपये प्रति क्विटल और चावल की कीमत 162 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित की है। इन दोनों मूल्यों में इतना अधिक अन्तर है कि धान के मूल्य को 5 रुपये प्रति क्विटल तक तत्काल बढ़ाने की गुंजाइश है।

आसाम में पटसन का उत्पादन भी होता है। पटसन का मूल्य 200 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है। मूल्य लाभप्रद स्तर पर निर्धारित किये जाने चाहिएं।

90 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं। उन पर महाजनों का भारी कर्जा है। आसाम में ही नहीं अपितु सारे देश में कृषि ऋणों को चुकाने के सम्बन्ध में कानूनी मोहलत दी जानी चाहिए।

भारत में खेतिहर मजदूर के प्रति व्यक्ति आय 54 रुपये है, लेकिन आसाम में ये कभी भी 34 रुपये से आगे नहीं बढ़ी । अतः ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि योजना बनाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

मेरा एक और सुझाव है कि छोटी नदियों से पहाड़ों की तलहटियों में ही बिजली पैदा की जा सकती है । इन निदयों से छोटी छोटी पन-बिजली परियोजनायें बनाई जा सकती हैं और भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है ।

Shri Pius Tirkey (Alipurdwar): It appears that there is something basically wrong in our agricultural set up and so long as corrective action is not taken, we may spend any amount therein, it will do no good to the agriculturists.

It is really unfortunate that those who had been entrusted with the work of agriculture development do not know anything about agriculture. It is very necessary that only the sons of farmers are entrusted with this work.

If the Janata Government is really interested in the welfare of the farmers. They should make arrangement for higher education in every block. This education should include cattle breeding and poultry farming.

It is also necessary that educational and medical facilities are provided for the children of the farmers and these facilities should be completely free.

The money that is being spent on agriculture development and irrigation is not helping the farmers in any way and they are becoming poorer and poorer. This is something very serious which deserves to be given due consideration.

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेन्दुर) : भारत में सिंचाई की काफी क्षमता है । यदि इसका समुचित उपयोग किया जाये तो देश में न केवल खाद्यान्नों का उत्पादन ही आवश्यकता से कहीं अधिक होगा वरन वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी आवश्यकता से अधिक होगा ।

सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि केरल में 41 निदयां पश्चिम की ओर बहती हैं और उनमें वर्ष भर में 72,5200 लाख घन मीटर पानी होता है । केरल राज्य की सिंचाई बिजली और परिवहन अवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 40,4900 लाख घन मीटर पानी समुद्र में मिल जायेगा । इस अतिरिक्त जल के एक भाग का प्रयोग तमिलनाडु के उन क्षेत्रों के लिये किया जाता है जहां जल का अभाव है और सिंचाई का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है ।

इस प्रतिवेदन के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा है जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में कितना क्षेत्र जलमग्न है और कितने क्षेत्र को जल की आवश्यकता है । केरल के लोगों को तमिलनाडु के लोगों की सहायता करनी चाहिये ।

कावेरी जल की स्थिति बहुत दयनीय है । काबीनी जलाशय 19 टी० एस० सी० से पूरा भरा पड़ा है, अर्थात् वह प्रति दिन 15000 वर्ग फुट पानी भरता है । साथ ही तंजोर का समूचा क्षेत्र सूखता जा रहा है । इस समय जल का एक बड़ा भाग समुद्र में बह कर बेकार जा रहा है । कर्नाटक सरकार जानबूझकर हमें इस जल का प्रयोग नहीं करने दे रही है, यद्यपि 1892 और 1929 के समझौतों के अन्तर्गत हमें इस जल को उपयोग में लाने का पूरा पूरा तटवर्ती अधिकार प्राप्त है। कोई भी इसे

[श्री के० टी० कोसलराम]

रोक नहीं सकता। भारत सरकार को राज्यों के बीच निपटारा कराने के लिये पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि केरल का जल अभावग्रस्त क्षेत्रों को प्राप्त हो और कावेरी जल तंजोर डेल्टा को मिले।

कावेरी को गंगा के साथ जोडने का कार्य भी किया जाना चाहिये अन्यथा राष्ट्रीय एकीकरण की बात करने की कोई तुक नहीं।

Shri Chandan Singh (Kairana) : The officers of the Agrucultural Department are ignorant of the realities about the gricultural industry. The farmers are starving for power credit, seeds etc. which are necessary ingredients of agriculture. Further, they do not give remunerative pricc for what they produce and they have to pay higher prices for the goods they consume. In many cases, the holdings are not economic. Therefore, Government should take initiative to reduce the prices of fertilizers and agricultural implements.

The benefits of various schemes and projects underatken by Government have not reached the small marginal farmers in rural areas. It must be ensured that the farmer gets at least that much price for his produce as will cover his cost of production.

Shri Birendra Prasad (Nalanda) : About 80 to 85 per cent of 13 crores of unemployed and under-employed people in the country are in the rural sector and they are a burden on land. To tackle their problem, all round development of agriculture has to be brought about.

The Flood Control Boards has failed to deliver the goods. There are a large number of rivers in the country and if they are interlinked, the flood water can be utilised for irrigation.

The entire running distance of the river even if it be 100 miles long should be surveyed before launching a project. Small scale projects benefit only 10 or 20 villages.

If reservoirs are built in the hilly areas in the state of Bihar good quantity of water can be collected during rainy season which otherwise flows into streams, which mostly remain dry in other parts of the year and because of the flood so caused the entire water is lost. There are a large number of rivers in the country and they can be interlinked, the flood water can be utilised for irrigation. A scheme should be drawn up in this regard.

It is not known when the project of linking up of Ganga with Cauveri will be completed. Several projects and schemes in Bihar had been pending for the last ten years and no progress is being made about it. These schemes should be taken up earnestly and completed as early as possible.

There must be coordination with a view to ensure that farmers get power for energising tube-wells for the purpose of irrigation. Bihar should be provided a diamond rig machine for lifting water.

During the Congress regime the nationalised banks opened their branches at block level. Generally a bank covers 150 to 175 villages but these branches are covering only 5 or 7 villages These banks advance loans to those villagers that are situated by the road side so it will be proper to call them as road banks. More attention should be given to fulfil the needs of small farmers.

I would like to thank the Government for allocating larger funds for agriculture and irrigation purposes.

Shri Ravindra Pratap Singh (Amethi) : Sir, I rise to support the demand of grants in respect of the Ministry of Agriculture and irrigation.

The hon. Minister of agriculture deserves congratulations for taking interest in the agriculture.

[**Shri M. Satyanarayan Rao** *in the chair*
श्री एम सत्यनारायन राव पीठासीन हुए]

During the last Thirty years nothing substantial has been done to ameliorate the conditione of poor farmers. Until we educate the peasants it will not be possible for the country to make any progress. More educational institutions should be opened in rural areas.

Adequate provision should be made for housing the farmers.

Fair price shops should be opened where cotton growers are given cloth at cheaper rates.

Village Panchayats should be given more rights and they should be instructed to render justice in the most impartial manner.

Eighty percent of our population is engaged in agriculture and they contribute more than fifty percent in the national income. But how much has the Government spent on them can only be ascertained from statistics. The statistics are always made up and undependable.

Steps should be taken to fix the minimum size of a holding.

Cattle is important for agriculture. For their growth cow-slaughter should be completely banned.

Measures should be taken to supply improved seeds, manure and water for irrigation to the farmers at the time of cultivation. Further arrangements should be made to ensure that farmers get remunerative price for their produce. Then the prices of fertilizer and agricultural implements should be reduced.

श्री समर गुह (कन्टाई) : सभापति महोदय, पहले मेरा इस वाद-विवाद में भाग लेने का विचार नहीं था। लेकिन मैं कृषि अनुसंधान संस्थान की शोचनीय दशा की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसीलिए मुझे इस चर्चा में भाग लेना पड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन 21 कृषि विश्वविद्यालय और 24 अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। जनता सरकार ने कृषि अर्थ-व्यवस्था के विकास की शपथ ली है और कृषि विकास बहुत हद तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की गतिविधियों पर निर्भर करता है लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का कार्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। गत कई वर्षों से पूसा स्थित कृषि अनुसंधान परिषद् की आलोचना हो रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक युवा वैज्ञानिक डा० शाह द्वारा आत्महत्या किये जाने पर लोक सभा के पिछले सत्र में बहुत हंगामा हुआ और सरकार को उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति करनी पड़ी। इस समिति के अन्य सदस्य प्रो० डी० एस० कोठारी, प्रो० बी० डी० नागचौधरी, डा० एच० एन० सेथना, डा० बी० वेंकस्पया और प्रो० एम० एन० कानूनगो थे। इस समिति ने विभिन्न आरोपों की विशेषकर डा० शाह द्वारा लिखे गये अन्तिम पत्र में उल्लिखित विशिष्ट आरोपों की पूरी जांच की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डा० शाह ने जो भी शिकायतें कीं वे सब उचित है।

इस विश्वविद्यालय में बेईमानी, कपटता तथा स्वतंत्रता के अभाव का वातावरण व्याप्त है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां के वर्तमान निदेशक ने इतना चौड़ा दावा किया था कि उन्होंने गेहूं की ऐसी किस्में सरबती सोनारा खोज निकाली है जिसमें लाइसीन तत्व है और यह दूध के

[श्री समर गुह]

बराबर है। उनकी इन खोजों का अखबारों और पत्रिकाओं में इतना अधिक प्रचार हुआ कि उन्हें फिलीपाइन्स का मैगासोसे पुरस्कार के अतिरिक्त अनेक अन्य पुरस्कार भी दिये गये। लेकिन उच्च शक्ति प्राप्त गजेन्द्र गडकर समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा कि निदेशक का दावा वैज्ञानिक अनुसंधान के निष्कर्षों पर आधारित नहीं है। निदेशक ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने मक्के की ऐसी किस्म खोज निकाली है जिसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन और लाइसीन है। समिति का कहना है कि यह भी सही नहीं है। निदेशक पर वैज्ञानिक निष्ठा के अभाव का भी आरोप लगाया गया है। यह व्यक्ति जिनके बारे में इतनी चर्चा की जा रही है, ने बाद में कहा कि सरबती सोनारा गेहूं के अनुसंधान संबंधी परिणाम 'फूड इन्डस्ट्रीजरनल' के सम्पादक ने स्वयं प्रकाशित किये है मेरा उसमें कुछ हाथ नहीं है लेकिन संपादक ने बाद में एक वक्तव्य में बताया कि अनुसंधानों के परिणामों की प्रति स्वयं निदेशक ने मुझे दी जिसके आधार पर मैंने रिपोर्ट प्रकाशित की।

निदेशक पर निरंकुश होने तथा संगठन में स्वतंत्रता के अभाव पैदा करने का आरोप लगाया गया था और समिति के प्रतिवेदन में संगठन के निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि की गई है। इस निदेशक को अतिरिक्त सचिव बना दिया गया। भर्ती नीति के बारे में कहा गया कि यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी चाहिए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भर्ती के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया। जब तक प्रशासन के उद्देश्य, भावना तथा ढांचे एवं अनुसंधान कार्य के बारे में स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की जाती तब तक कृषि मंत्रालय का उद्देश्य ही विफल होगा।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला है लेकिन गत 30 वर्षों में हमने कृषि क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं की है जितनी कि हमें करनी चाहिए थी।

कई बार तो किसान यह सोचने पर विवश हो जाता है कि सरकार जो कुछ कहती है वह केवल मौखिक सहानुभूति ही है अथवा वह वास्तव में किसानों की स्थिति सुधारना चाहते है।

किसान द्वारा खरीदे जाने वाले खाद, बीज आदि के मूल्य में तथा उसके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्यान्न के मूल्य में काफी अन्तर है। कोई भी अर्थशास्त्री स्थिति देखकर एकदम कह देगा कि किसान नुकसान में रहता है क्योंकि वह अपने प्रयोग के लिए जो वस्तुएं जैसे कि कपड़ा मकान इत्यादि खरीदता है उनके मूल्य बहुत ऊंचे है और वह उन्हें खरीद नहीं सकता। इसलिए सरकार को भारतीय किसानों के मन से इस संदेह का निराकरण करना चाहिए कि सरकार किसानों की स्थिति सुधारने के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार को छोटे किसानों को न्यूनतम मूल्य दिलवाने की गारंटी देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता किसानों की स्थिति सुधर नहीं सकती।

औद्योगिक उत्पादन के बारे में काफी विचार किया जा रहा है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पदार्थों को खरीदेगा कौन। जब तक आप देश के बाहर इन वस्तुओं की मंडी नहीं खोजेंगे तब तक वस्तुओं की बिक्री नहीं होगी और अन्ततः आपको उद्योग बंद करने पड़ेंगे। सरकार को इस अवसर पर सामने आना चाहिए। जब तक खेती में सुधार नहीं किया जाता तब तक इस देश की अर्थ-व्यवस्था सुधर नहीं सकती।

आंध्र प्रदेश में अधिक उपज देने वाली किस्मों से खाद्यान्न का उत्पादन काफी बढ़ा सकते है। हम कृषि वैज्ञानिकों के योगदान पर उनके प्रति आभारी है।

जहां तक सिंचाई का संबंध है हमारे देश में वर्षा ही सिंचाई का मुख्य साधन है। अच्छी फसल का होना या न होना मौनसून की कृपा पर निर्भर है। यदि वर्षा के दौरान बरसे जल को किसी जलाशय में एकत्र कर लिया जाये तो देश में सिंचाई की समस्या हल हो जाएगी।

आंध्र प्रदेश में मेरे जिले आदिलाबाद में पोचमपद परियोजना का शिलान्यास श्री जवाहर लाल नेहरू ने किया था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के आपसी विवादों के कारण काम शुरू नहीं हो सका। हालांकि समस्या का हल हो चुका हैं फिर भी केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग की स्वीकृति के अभाव में पोचमपद उत्तरी नहर परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। हमें अभी कितने महीने और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आदिलाबाद जिले मे बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है। हमें इस परियोजना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को शीघ्र दूर करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने आदिवाशी तथा दूर दराज के गांवों ने पेयजल समस्या की चर्चा की है। आदिवासी गांवों में पेयजल की अपर्याप्त सप्लाई होती है। सरकार को सभी गांवों और विशेषकर आदिवासी गांवों में पेयजल की सप्लाई को सुनिश्चित करना चाहिए ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सड़कें भी जरूरी है। 1000 लोगों की जनसंख्या वाले गांव को मुख्य सड़क के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सड़कें न होने के कारण विकास नहीं होता। अत: गांवों में सड़कें बनाना बहुत जरूरी है। सारा साल चलने वाली सड़कों का जाल बिछाने के लिये तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि वृक्षों को गिराने से बचाना चाहिए। फिर भी मेरा सुझाव है कि यदि गांव में किसान अपनी झौंपड़ी बनाना चाहता है तो उसे इसके लिये वृक्ष गिराने की अनुमति दी जानी चाहिए। तथ्य तो यह है कि वन विभाग वनों के गिराने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वे राजस्व चाहते है। यदि हम इसी गति से वनों को नष्ट करते रहे तो 15 वर्षों के भीतर समाप्त हो जायेंगे। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे एक आयोग नियुक्त करें जो इस समस्या पर विचार करें और यह सिफारिश करे कि राज्य में कम से कम कितने प्रतिशत वनों की रक्षा करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि वन रोपण पर राज्य को एक विशिष्ट प्रतिशत राशि व्यय करनी चाहिए।

Chowdhury Balbir Singh (Hoshiarpur) : The farmer does not want donations. He wants reasonable prices for his produce. He wants tractors, fertilizer and power on cheap rates. Agriculture should not be reduced to gambling. Agriculturist should be ensured the reasonable prices for this produce.

There are a number of inter-state river disputes which could not be resolved during the last 30 years. About 70 projects could not be started due to these disputes. Punjab Government wrote to the Central Government in 1970 for according approval for the construction of Thien Dam but the same has not so far been accorded approval. The question of Thien Dam is connected with the life of Punjab. It should be constructed at all cost there will hardly be any need of importing any commodity if we complete all the projects.

The Agriculture officers posted in the field should be imparted practical training before their actual posting.

The fertilizer is not proving to be useful for soil. It is sucking the energy of the land. We should examine and review this aspect.

[Chowdhury Balbir Singh]

I suggest that registration fee for the purpose of consolidation should be discontinued. You should close the consolidation department. The farmers will readjust their holdings of their own according to their convenience.

Special attention should be paid towards horticulture. Farmers should be allowed to raise orchards' in the forests. They will take care of these orchards themselves.

The cultivable land should not be brought under wealth tax and barren land should be brought under cultivation.

Shri Gauri Shankar Rai (Gazipur) : I have been pointing out for the last few years through the platform of Vidhan Sabha that very inadequate attention has been paid towards 50 per cent of our farmers. 80 per cent of our farmers are having small holdings. No plan has so far been devised for them. The Hon. Minister, being an agriculturist, is well aware of the problems of agriculture.

The Government should review planning regarding agriculture. A plan should be framed for 85 per cent of our small farmers. We should adopt a realistic attitude towards agriculture which could benefit the small farmers. 40 per cent small farmers of Japan are smaller than our small farmers. They felt the need of mechanising the agriculture. The Japanese Government provided subsidy to the small farmers as a result of which 80 per cent of people were benefited.

Fertilizers are beneficial to the agriculture. Japan has set up a record by producing maximum rice with the optimum use of fertilizer. We should learn from the experience of these countries. They provided minimum support price to the farmers. This practice should also be adopted here. The Government should provide reasonable and encouraging price to the produce of farmers. The China or Japan have seen to it that wages of agricultural labour are at par with those of the industrial labour. We should learn from the experiences of other countries also.

Separate plans should be prepared for small farmers. Then only the economy of our country will improve.

Our industries should cater to the needs of agriculture. Industrialization should progress on the basis of agricultural production. Agriculture should be mechanised.

The farmers of Uttar Pradesh and Bihar should be ensured the same prices for sugarcane as are paid to the farmers of Maharashtra and Karnataka.

There is khandsari industry in our state. Sugar magnets influence the state politics of Uttar Pradesh and Bihar. Money power matters very much in contesting elections there. Taxes were imposed on khandsari industry during emergency. No attempt has been made to increase the production of sugarcane and ensure reasonable prices to the farmers. There is a lot of resentment among the farmers due to faulty policy of the Government adopted towards them.

The Government should ensure reasonable prices of sugarcane to the growers. In Uttar Pradesh sugarcane is grown in 25 lakh acre of land and 25 lakh families are engaged in this occupation. Something should be done for their welfare.

The natural resources of Ganga, Yamuna and the Himalayas should be utilised to the maximum. Attempts should also be made to construct village roads and provide power and water to the rural areas.

Scientific attitude should be adopted for agriculture. It is only then that country can progress.

श्री सोनू सिह पाटिल (इंरढोल) : मैं कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। कृषि मंत्रालय के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उरवंक कारखाने तथा इसके उत्पादन सम्बन्धी विषय इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने चाहिए।

पिछली सरकार ने कृषि के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया हालांकि इस क्षेत्र के आधे से अधिक राष्ट्रीय आय मिलती है फिर भी इसे कुल बजट का 30.4 प्रतिशत भाग दिया गया है। कृषि के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हालांकि कृषि एक महत्वपूर्ण उद्योग है, फिर भी इसे उद्योग नहीं समझा जा रहा है। जब तक हम इसे उद्योग नहीं मानते तब तक स्थिति सुधारना कठिन सा है।

हमारा देश कृषि प्रधान है। एक कृषि प्रधान देश को खाद्यान्न का आयात नहीं करना चाहिए। हमें कृषि उत्पादन पर जोर देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हर सम्भव प्रयास किए जायें ताकि खाद्यान्न का आयात बन्द किया जा सके। कृषि की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक कृषि मूल्यों का प्रश्न है, हम कृषि मूल्य आयोग तथा योजना आयोग पर निर्भर हैं। योजना आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है। लेकिन हमें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

अब जनता सरकार नई शक्ति और नई दृष्टि लेकर आई है। यह सरकार कृषि को महत्व देगी। फिर भी कृषि के लिए आबंटित राशि गत वर्ष से कम है। यदि जनता सरकार का दृष्टिकोण कृषि के प्रति ऐसा रहा तो समस्या का हल नहीं हो सकता। हमारा देश खाद्यान्न, कपास और पटसन के मामले में आत्म-निर्भर होना ही चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा अपनाई गई नीति कृषकों के हित में नहीं है अतः हमें इस बारे में क्रान्तिकारी कदम उठाने होंगे।

भूमि सुधार कानून तो बनाए गए लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। यदि इनका सही क्रियान्वयन किया जाए तो भूमि के टूकड़े होने की गुंजाईश नहीं रह जाएगी।

खेती का सम्बन्ध मुख्य रूप से खाद्य, वन तथा मत्स्य उद्योग से है। जहां तक वनों का सम्बन्ध है, देश की 30 से 32 प्रतिशत भूमि में वन होने चाहिएं। परन्तु वनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह एक गम्भीर समस्या है। हर वर्ष 10 करोड़ वृक्ष काट लिए जाते हैं और ईंधन के काम में लाए जाते हैं। वनों की हमेशा उपेक्षा की जाती रही है। हमें यह नीति बनानी चाहिए कि सिंचाई योग्य भूमि का 15 से 20 प्रतिशत भाग जंगलों के लिए सुरक्षित रखा जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक नियमित वर्षा नहीं होगी।

जल व्यवस्था में सुधार की गुंजाईश है। सिंचाई योग्य भूमि के केवल 40 प्रतिशत भाग में सिंचाई की जाती है। मंत्री महोदय को विशेषज्ञों की एक समिति बनाएं जो सिंचाई नीति को युक्तियुक्त बनाने का कार्य करे।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। कम मजूरी मिलने के कारण वे पर्याप्त काम नहीं करते। चूंकि कृषकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता, इसलिए वे खेतिहर मजदूरों को उचित मजूरी नहीं दे पाते। अच्छे उत्पादन को

[श्री सोनूसिंह पाटिल]

लिए खेतिहर मजदूर एक महत्वपूर्ण पहलू है। अतः केन्द्र को इसके लिए आदर्श कानून बनाना चाहिए।

कृषि को समवर्ती सूची से हटाकर केन्द्रीय सूची में रखा जाना चाहिए। क्रियान्वयन का कार्य राज्यों पर छोड़ देना चाहिए।

यदि हमारे देश में उर्वक की लागत अधिक आती है तो हमें इसके आयात में हिचकना नहीं चाहिए। उर्वक खेती की उपज के लिए लम्बे अरसे तक लाभकर सिद्ध नहीं होते। अतः हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए।

जब तक कृषि को आत्म-निर्भर एवं स्व-उत्पादक नहीं बनाया जाता तब तक देश की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती।

***श्री एस० जगन्नाथन्** (श्रीपेरम्बदूर) : हमारे किसानों को सम्पन्न होना चाहिए लेकिन वे पिछड़ते जा रहे हैं। यदि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है तो किसानों को अगली पंक्ति में होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वे सबसे पिछली पंक्ति में हैं।

किसान प्रकृति के प्रकोप का सबसे पहले शिकार होते हैं। वर्षा न होने तथा कावेरी में पानी की कमी के कारण पानी न मिलने पर भी ऋण देने वाली वित्तीय संस्थायें उसे ऋण वसूली के लिए तंग करती हैं। यदि वे ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें उनका क्या दोष है। सरकार ऐसे निर्देश दे कि फसल खराब होने पर किसानों को ऋण की अदायगी के लिए मजबूर न किया जाए तथा जब वे ऋण चुकाने की स्थिति में हों, तभी उन्हें भुगतान करने को कहा जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की दर बहुत अधिक है तथा किसानों, विशेषकर छोटे किसानों की भूमिगत पानी से सिचाई करने में उपयोग में लाई गई बिजली के बिल का भुगतान मांगा जाता है? इसी प्रकार कीटनाशक और खेती के औजारों का अत्यधिक मूल्य लिया जाता है। कृषि मजदूरों की मांग है कि उन्हें अधिक मजदूरी दी जाए। फसल के बाद किसान के पास अपनी आवश्यकता के लिए बहुत कम खाद्यान्न रह जाता है। कृषि मंत्री समाज के इस पीड़ित वर्ग को वित्तीय सहायता देने के लिए समयोचित और पर्याप्त कार्यवाही करें।

गत वर्ष चिंगलपुर जिले में वर्षा नहीं हुई तथा किसानों ने सरकारी भूमि के भूमिगत जल का उपयोग करने की अनुमति मांगी परन्तु उन्हें अनुमति नहीं दी गई। परिणामस्वरूप पानी के अभाव में सारी फसल नष्ट हो गई। दूसरी ओर 100 या 200 एकड़ भूमि वाले जमींदार सरकारी भूमि जोत रहे हैं तथा उसकी उपज का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। क्या पिछड़े लोगों के कल्याणकारी राज्य में ऐसा होना चाहिए?

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अधिकतम भूमि सीमा कानूनों को प्रभावकरी ढंग से लागू किया जाए तथा आवश्यकता से अधिक भूमि को भूमिहीनों में बांटा जाए तभी कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि जनता सरकार कृषकों को दिए गए आश्वासन पूरे करेगी।

Shri Bharat Bhushan (Nanital) In 1950-51, the ratio between per capita income of rural areas and urban areas was 1 : 2 but now this ratio is 1 : 4. This shows how much progress rural areas have made all these years.

While fixing the price of a commodity, its cost of production is taken into acount, but that is not done in the case of agricultural commodities. Agriculturists do not get remunerative price for their produce. Prices of agricultural inputs fertilizers, pesticides; electricity and diesel oil has been rising over the years, but farmers have not been getting correspondingly higher price for their produce. If agriculturists do not get proper price for their produce how can agricultural production increase ? Our country became self-sufficient in 1970-71, but agricultural production started declining after that. If agriculturists cannot be given proper price at least taxes on agricultural inputs should be reduced.

It is not enough to make allocations in our plans for particular projects, but the real important thing is as to how much money is properly utilised and what are the results achieved.

Foundation stone of Jimrani Dam was laid in 1974 but no progress has been made so far in its implementation. Similarly crores of rupees have been spent on Tumria Dam but not even 1 ft. water was stored there. In Nainital District, Terai is 200 k.m. and there are 12 dams but no water for irrigation is given to the people of that area. Farmers have to experience lot of difficulty.

In our area in an area of 4 thousand square kilometers even drinking water is not available. About one lakh people are facing lot of difficulty on that account. Steps should be taken to provide drinking water to these people.

Shri H.L.P. Sinha (Jahanabad) : I rise to support the demands for Agriculture and Irrigation Ministry.

In North Bihar, there are floods every year, while South Bihar is affected by drought. If dams are constructed on small rivers in South Bihar, irrigation facilities can be made available to farmers.

The Government should take steps to distribute surplus land among landless people. Unless that is done, poverty cannot be banished from our country.

In South Bihar, pucca dams should be constructed on Pun Pun, Dardha and Jamuna. That would provide great relief to farmers. In 1969 Punpun project was prepared and that is lying with the Planning Commission. The Minister should attend to this matter.

Price of fertiliser should be reduced. Prices of tractors and pesticides should also be reduced. Also seeds should be made available to farmers in time.

Last year's floods had damaged embankments of Punpun and Phalgo river, but no steps have been taken to repair them. Early steps should be taken to repair the embankments.

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : प्रसन्नता की बात है कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन 12 करोड़ टन हो गया है। इसके आयात की अब कोई आवश्यकता नहीं। कृषि मंत्रालय, कृषि वैज्ञानिक और कृषक इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

हमारे देश में कृषि वर्षा पर आधारित है। हर वर्ष किसी हिस्से में बाढ़ आती है और किसी हिस्से में अकाल पड़ता है। सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने में सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। सूखा पीड़ित क्षेत्र के लिए हमें भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध कराने चाहिएं।

[श्री के० राचैया]

इस उद्देश्य के लिए किसानों को ऋण देने की बजाय सरकार को एक सामान्य समुदाय परियोजना बनानी चाहिए जहां से किसानों को कृषि कार्य के लिए पानी दिया जा सके। इस तरह से खर्चा भी कम से कम होगा। उन्हें अपने छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करने के लिए नलकूपों की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि समुदाय कूप खोदे जायें तो उनसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या भी हल हो जाएगी।

हमें पता है कि हमने कई नदियों के पानी का उपयोग में नहीं ला पाए हैं क्योंकि उन नदियों के बारे में अन्तर्राज्यीय जल विवाद चल रहे हैं। हर्ष की बात है कि नर्मदा जल विवाद काफी हद तक सुलझ गया है। दक्षिण में कावेरी जल विवाद अभी तक नहीं सुलझाया गया है। अधिकांश परियोजनाओं पर बांध तो बन चुके हैं किन्तु अभी नहर खोदने का काम शेष रह गया है और इसी कारण हम वहां के पानी को कृषि कार्यों के लिए उपयोग में नहीं ला पाए हैं।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि काबिनी परियोजना तथा हेमवती रियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध किया जा सके।

गत वर्ष चालू परियोजनाओं को 45 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता दी गई थी और इस वर्ष भी इसके लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें से केवल 48 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र के लिए तथा शेष धन की व्यवस्था राज्य क्षेत्र करेगा।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है दक्षिण में लेवी चीनी की कीमत 141 रुपए है जबकि उत्तर भारत में 275 रुपए है। लेवी चीनी के मूल्य में इतनी असमानता क्यों हैं? यह असमानता तत्काल दूर की जानी चाहिए या फिर इस असमानता को यथासम्भव कम किया जाए ताकि दक्षिण भारत के किसान को यह सन्तोष हो जाए कि उसे भी उतना ही मूल्य मिल रहा है।

सरकार चीनी नए कारखानों को कुछ रियायत दे रही है और उन्हें उत्पादन शुल्क में छूट दी जा रही है।

इस अतिरिक्त उरर्वकों मूल्यों में भी कमी की जानी चाहिए।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद यथासम्भव शीघ्र निपटाए जाने चाहिएं और चीनी के मूल्य में समानता होनी चाहिए।

कृषकों को कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए ताकि वे अधिकाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकें। किसानों को सस्ते उरर्वक तथा आधुनिक औजार जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। कम से कम अधिक उपज वाली किस्मों का फसल बीमा किया जाना चाहिए।

चारे का मूल्य बढ़ गया है। इसके मूल्य में कमी करने के लिए खली का निर्यात रोका जाना चाहिए। मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

कई राज्यों में खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी देने सम्बन्धी कानून को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वहां पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षक नियुक्त नहीं किए गए हैं। कुछ भागों में बन्धुआ श्रमिक उन्मूलन के पश्चात् तथा भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने से छोटे किसानों तथा बंधुआ श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

Choudhary Ram Gopal Singh (Bilhans) ; This year's budget will benefit the farmers. If money allocated for agriculture is properly utilised, our agricultural production will increase.

The previous Government had ncreased irrigation cess, electricity cess and land revenue, but the prices of whe't has been going down. These taxes on agriculturists should also be reduced, otherwise the condition of farmers will go from bad to worse.

Production of pulses and oil seeds is going down. The reasons for this decline in production should be found out. The Government should help the cultivators and remove their difficulties so that production of these commodities does not decrese.

Our agriculture depends on vagaries of nature and farmers are exposed to many dangers. Even then they are not given proper price for their produce, while articles manufactured in factories are given high price. The Government should go into the problems of farmers and help them by giving all necessary incentives.

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) : Farmers should be supplied agricultural inputs if we want to increase our agricultural production. Special attention should be paid to the provision of irrigation facilities.

Floods cause lot of damage to our crops. Steps should be taken to control floods.

There is Rapti river in Gorakhpur district. There is no embankment on one bank of Rapti. This causes damage to hundreds of villages. Steps should be taken to provide this embankment.

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य (उलबेरिया) : केन्द्र में जनता पार्टी की विजय से लोगों में बड़ी बड़ी आशाएं उत्पन्न हुई हैं ; लोकतान्त्रिक अधिकार पा लेने के पश्चात् लोगों की यह हार्दिक इच्छा है कि निर्धनता, बेरोजगारी तथा मूल्य वृद्धि आदि की समस्याएं हल हो जायें। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वे निर्धनता, निरक्षरता तथा बेरोजगारी को दूर करेंगे।

सरकार ने ग्रामीण उद्योगों तथा सिंचाई के विकास की नीति अपनाई है ताकि कृषि का विकास हो सके। सरकार को आशा है कि ग्रामीण उद्योगों का विकास करके बेरोजगारी की समस्या आंशिक रूप से हल हो जाएगी। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि ग्रामीण उद्योगों का विकास हो जाएगा तो उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की खरीददारी कौन करेगा क्योंकि अधिकांश ग्रामीण निर्धन हैं और उनकी क्रयशक्ति बहुत कम है।

कृषि की गणना प्रतिवेदन के अनुसार 60 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर उन मालिकों का नियंत्रण है जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है । दूसरे वे स्वयं कृषि कार्य नहीं करते। एक समिति के अनुसार 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का कुल कृषि उत्पादन के दो-तिहाई भाग पर नियंत्रण है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यदि हम ग्रामीण उद्योगों का विकास भी कर दें तो अधिकांश ग्रामीण उनके द्वारा निर्मित माल को नहीं खरीद पायेंगे।

[श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्या]

यद्यपि भूतपूर्व सरकार ने कई भूमि सम्बन्धी कानून बनाए थे फिर भी भूमि का केन्द्रीयकरण अभी भी है। यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की दशा सुधारना चाहती तो फिर उसे भूमि सुधार में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। तभी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल करना सम्भव है। यदि सरकार अपने वायदों को पूरा करने के प्रति दृढ़ निश्चय है तो उसे तत्काल भूमि सुधार करना चाहिए। इससे गांवों में एक नया जीवन उत्पन्न होगा और फिर हम एक नए भारत का निर्माण कर पायेंगे।

Shri Ram Kanwar Berwa : (Tonk) ; Tiller of the land should be made its owner. Cultivtors who have been cultivating a particular land for the last 5 years should be made owners of that land.

Procedure of sale and purchase of land should be simplified. Stamp duty and registration fee should be substantially reduced.

Cultivators should also be given loan for Purchase of land. Procedure for disbursement of loans to farmers should be simplified. Also farmers should not be made to pay high rates of interest.

Cooperative Societies should also be given the facility to give loans to farmers. Cooperative societies should also provide daily necessities of life to farmers at reasonable prices.

A Committee should be constituted to find out the reasons for inability of farmers to pay off their debts.

Village Cooperative societies should be given tractors and other implement. Also land should be given to landless through cooperative societies.

Programme of rural electrification should be implemented speedily. Electricity connections should be given to farmers for their tube wells.

Farmers should be supplied electricity at 15 paise per unit. Also procedure of realising minimum charges from farmers should be put on end to.

Transport facilities should be provided in rural areas Small scale industries should be encouraged. Drinking water should also be provided in villages.

Cow slaughter should be banned. Special attention should be paid to this matter.

Scheduled castes and poor people should be helped. Their lands which are in dispute should be restored to them.

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : खेतों में प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए उर्वक परमावश्यक पोषाहार है। हम अधिक उत्पादन के लिए उर्वकों का प्रयोग करते हैं। उर्वक कई प्रकार के होते हैं। कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे न्यूटरल उर्वकों का किसी प्रकार की मिट्टी में बिना किसी हानि के प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे उर्वकों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

वर्षा ऋतु के दौरान कृषि कार्य जुआ खेलने के समान है। जब तक कीटनाशक दवाइयां प्रयोग नहीं की जातीं जमीन की उर्वता समाप्त हो जाती है। सरकार को दानेदार कीटनाशक दवाओं के प्रयोग का प्रचार करना चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग प्रकृति में भी होता है और इससे फसल पर भी कुछ समय तक प्रभाव रहता है और इससे फसलों म

बीमारियां भी नहीं लगती। दानेदार कीटनाशक दवाओं के मूल्य बहुत अधिक हैं। इनके मूल्यों में कमी की जानी चाहिए।

1970 से लेकर आज तक कीटनाशक दवाइयों तथा अन्य प्रकार के कृषि साधनों के मूल्य में तीन गुना वृद्धि हो गई है जबकि खाद्यान्नों के मूल्यों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया है। अतः जब तक किसान को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलेगा; वह अपनी मांगें पूरी नहीं कर सकेगा। किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए लाभप्रद मूल्यप्रणाली बनाई जानी चाहिए।

इसके बाद लोक सभा सोमवार, 4 जुलाई, 1977/13 आषाढ़, 1899 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday July 4, 1977/Asadha, 13, 1899 (Saka)

म०प्र०भा०स०मु०मि०रो०न०दि०—आर०एस०II—1967एल०एस०—26-9-77—200